बिहार सरकार
वित्त (अंकेक्षण) विभाग

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या – 121/09–10

कंडिका –1

1. परिचयात्मक :–

(क) अंकेक्षित लेखा का नाम – अंचल कार्यालय, गोपालगंज

(ख) अंकेक्षिणार्न्तगत लेखावधि – वर्ष 2003–04 से 2004–05 तक

(ग) प्रशासी विभाग का नाम – राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार पटना।

(घ) अंकेक्षण अवधि के नियंत्री पदाधिकारी
का नाम, पदनाम और कार्यालय – 1. श्री एच0 आर0 श्री निवास जिला पदाधिकारी,गोपालगंज दिनांक – 3.7.02 से 14.1.04
2. श्री हीरा लाल जिला पदाधिकारी,गोपालगंज दिनांक – 14.1.04 से 2.4.04
3.श्री राहुल सिंह जिला पदाधिकारी,गोपालगंज दिनांक–2.4.04 से 6.6.04
4. श्री कुमार अंशुमाली जिला पदाधिकारी,गोपालगंज दिनांक – 6.6.04 से 9.6.04
5. श्री प्रभात कुमार साह जिला पदाधिकारी,गोपालगंज दिनांक – 15.12.04 से 10.2.05
6. श्री के0 के0 पाठक जिला पदाधिकारी,गोपालगंज दिनांक –10.2.05 से 20.5.05

(ड़) अंकेक्षणावधि में लेखा के प्रभारी
पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का नाम,
पदनाम तथा कार्यकाल – 1. श्री राकेश कुमार अंचलाधिकारी दिनांक– 21.12.99 से 21.7.03 तक
2. श्री शंकर बैठा अंचलाधिकारी दिनांक– 21.7.03 से 4.1.05 तक
3. श्री व्रजेश कुमार अंचलाधिकारी दिनांक– 4.1.05 से 17.1.06 तक

प्रधान लिपिक :–

1. श्री गोविंद प्रसाद – अप्रिल –99 से अप्रिल – 2005 तक

2. श्री गणेश प्रसाद – अप्रिल – 2005 से अप्रिल – 2006 तक

नजिर :–

1. श्री सुशील कुमार श्री वास्तव – जनवरी –99 से –17 अप्रिल–2005 तक
2. श्री केशो कुमार – 18 अप्रिल –2005 से मई – 2006 तक

(च) अंकेक्षण में सहयोग देने वाले पदाधिकारी व कर्मचारी का नाम एवं पदनाम :–
1. श्री गोविंद प्रसाद – प्रधान लिपिक
2. श्री शशीकांत पाठक – नाजीर

(छ) अंकेक्षकों / वरीय अंकेक्षकों का नाम –
1. श्री विश्वनाथ सिंह, वरीय अंकेक्षक –2
2. श्री रमेश प्रसाद, वरीय अंकेक्षक –2

(ज) अंकेक्षण प्रारम्भण तिथि – दिनांक 19.2.09

(झ) अंकेक्षण समापन तिथि – दिनांक 24.07.09

(ञ) अंकेक्षण में व्यतित कार्य दिवस – 38 कार्यदिवस

(ट) अंकेक्षण में प्रस्तुत / अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची – परिशिष्ट – 'अ' पर अंकित है।

(ठ) अंकेक्षण का क्षेत्र :–

विभागीय पत्रांक – 3286 दि0 16.9.60 के अनुसार अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर सम्पन्न किया गया।

वित्त (अंकेक्षण) विभाग एवं महालेखाकार के पूर्व के किये गये अंकेक्षण का अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं अनुपालन प्रतिवेदन की माँग की गयी। अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु आपत्ति निर्गत की गयी लेकिन आपत्ति का जबाव नही मिला।

मुख्य सचिव बिहार सरकार के ज्ञापांक– 4541 दिनांक– 23.9.1971 के निदेशानुसार प्रत्येक निरीक्षण पदा0 का अपने निरीक्षण टिप्पणी में अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनुपालन की अद्यतन स्थिति कोशा मिल करना है। ऐसा अगर इस कार्यालय में किया गया होता तो अंकेक्षण अवधि के पूर्व के अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं अनुपालन प्रतिवेदन अवश्य उपलब्ध होता और उनका अनुपालन किया जाता।

प्राप्ति एवं जमा राशि वर्ष 03–04 एवं 04–05 का सत्यापन शत् प्रतिशत् कोषागार कम्प्युटर से किया एवं सही पाया।

(ड.) वित्तीय परिशंसा :–

अंकेक्षण प्रारम्भण तिथि दि0 19.2.09 को सामान्य रोकड़ पुस्त में दर्ज राशि का विवरण निम्न प्रकार है – संवरणा शेष के रूप में रू0 97,40,642=35 पायी गयी इसका

विस्तृत विवरण दर्ज नही पाया गया। दिनांक – 27.2.09 को निम्नलिखित विवरण दर्ज पाया गया।

शीर्ष	– 0029	– 3,50,595=00
शीर्ष	– 2029	– 39,106=05
शीर्ष	– 2245	– 62,96,987=30
शीर्ष	– 2055	– शून्य
शीर्ष	– 2015	– शून्य
शीर्ष	– 2071	– शून्य
विविध	– 0,0	– 1,15,519=00
	योग	**– 68,02,207=35**

मदवार निम्न प्रकार –

अभिश्रव	– 5,04,131=46
अग्रिम	– 12,95,566=00
स्टेट बैंक	– 32,92,808=62
केनारा बैंक	– 17,04,038=00
नकद	– 5663=27
योग	**– 68,02,207=35**

संवरणा शेष के रूप में रू0 68,02,207=35 पायी गयी।

अंकेक्षणान्र्तगत लेखावधि वर्ष 2003–04 एवं 04–05 को रोकड़पुस्त के क्रमशः प्रारभ्भण रोकड़ एवं संवरणा रोकड़ का वार्षिक ब्यौरा निम्न प्रकार पाया गया।

दिनांक – 31.3.03 का शीर्षवार विवरणी

1. शीर्ष 2029 भू– राजस्व – 52089=80
2. शीर्ष 0029 भू – राजस्व – 2000=00
3. शीर्ष 0210 स्वास्थय् – शून्य
4. शीर्ष 2055 ग्रा0 पुलिस – 2,45,021=00
5. शीर्ष 2245 दैविक विपत्तियाँ – 40,37,692=80
6. छरकी – 12,997=00
7. शीर्ष 2235 सामाजिक सुरक्षा – शून्य
8. योजना (आर0 एल0 जी0 पी0) – शून्य
9. शीर्ष 2015 (निर्वाचन) – 10,719=51
10. शीर्ष 2506 (भू हदवन्दी मूदान) – शून्य
11. शीर्ष 2071 (पेंशन) – शून्य

43,60,520=11

संवरणा शेष रू0 43,60,520=11 को स्थिति निम्नवत् पाया गया :–

1. एस0 बी0 आई0 – 9,14,803=16
2. केनारा बैंक – 1,34,882=00
3. अग्रिम – 26,58,100=00
4. अभिश्रव – 6,45,933=54
5. नकद – 6801=41

योग – 43,60,520=11

दिनांक 31.03.04 की संवरण शेष की स्थिति निम्नवत पाया गया :–

1. एस0 बी0 आई0 – 10,89,619=16
2. केनारा बैंक – 1,34,882=00
3. अग्रिम – 39,40,950=00
4. अभिश्रव – 6,87,339=64
5. नकद – 18,410=31

योग – 58,71,201=11

दिनांक 31.03.05 को संवरणा शेष की स्थिति निम्नवत् पाया गया :–

1. एस0 बी0 आई0 – 13,27,082=16
2. केनारा बैंक – 1,34,882=00
3. अग्रिम – 16,31,657=00
4. अभिश्रव – 6,97,852=84
5. नकद – 17,609=91

योग – 38,09,083=91

इस लेखा से सम्बन्धित आवंटन एवं व्यय का व्यौरा प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''आ'' (क) (ख) पर संलग्न है। जिसके अवलोकन से स्पष्ट होगा कि प्राप्त आंवटन के अनुरूप निकासी किया गया तथा बचत राशि का प्रत्यार्पण किया गया। अंकेक्षण में प्रत्यार्पण सम्बन्धी पत्र /कागजात नही प्रस्तुत किया गया फलस्वरूप प्रत्यार्पण की सम्पुष्टि नही की जा सकी।

<u>अंचल कार्यालय राजस्व मॉग एवं संग्रहरणा का रिटर्न –I वर्ष 2003–04 एवं 04–05 की विवरणी निम्न प्रकार है :–</u>

वर्ष 2003 –04

(i) अंतिम विवरणी के अनुसार बकाया राशि – 52,997.80
(ii) वर्ष 2003–04 में प्रतिवेदित वर्ष की कुल वसूली – 11,87,767.20
(iii) वर्ष 2003–04 की कुल वसूली (i+ii) – 12,40,765.00
(iv) वर्ष 2004–05 की अग्रिम वसूली – शून्य

(v) दिनांक – 31.3.2004 तक कोषागार में जमा राशि – 12,40,765.00
(vi) दिनांक – 31.3.2004 के बाद कोषागार में जमा राशि –––
(vii) कुल जमा राशि (v+vi) – 12,40,765.00

वर्ष 2004–05

(i) अंतिम विवरणी के अनुसार बकाया राशि	– रू0 7673.85
(ii) प्रतिवेदन वर्ष की कुल वसूली	– रू0 12,67,614.15
(iii) वर्ष 2004–05 की कुल वसूली (i+ii)	– 12,75,288.00
(iii) दिनांक – 31.3.05 तक जमा राशि	– 12,73,002.00
(iv) दिनांक 31.3.05 के बाद कोषागार में (iii+iv) जमा राशि	– 2286.00
	12,75,288.00

(v) कोषागार में कुल जमा राशि रू0 12,75,288.00

वर्ष 2003–04 एवं 2004–05 का रिर्टन –1 का तुलनात्मक जाँच के क्रम में ज्ञात हुआ कि वर्ष 2003–04 में सैरात मद में दर्शायी गयी माँग की राशि

बकाया	–	हाल	–	योग
414548.30		9,73,187.00		13,87,735.30

वर्ष 03–04 में वसूली गयी राशि

बकाया	–	हाल	–	योग
20,000.00		9,42,356.00		9,62,365.00

वर्ष 2004–05 में वसूली हेतु बकाया राशि

बकाया	–	हाल	–	योग
3,94,548.30		30822.00		4,25,370.30

वर्ष 2004–05 सैरात मद में बकाया के रूप में रू0 3,82,822.00 दर्शायी गयी है।
इसप्रकार वर्ष 03–04 के रिटर्न के वर्ष 04–05 में वसूली हेतु बकाया राशि रू0 4,25,370.30 के बदले रू0 3,82,822.00 दर्शायी है।
फलतः वर्ष 04–05 में वसूली हेतु बकाया राशि (4,25,370.30 – 3,82,822.00) = 42,548.30 कम दर्शायी गयी। जिससे वर्ष 04–05 में सैरात मद में रू0 42,548.30 राजरूव कम वसूल किया गया। इसकी विस्तृत विवरणी परिशिष्ट – 'ख' (i) एवं (ii) पर अंकित है।

अंकेक्षणाधीन कार्यालय के स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त बल का व्योरा निम्न प्रकार है। शीर्ष 2029 भू–राजस्व स्थापना बल की ईकाई कुल स्वीकृत बल – 22 (वाईस) एवं कार्यरत बल – 20 (बीस) है। रिक्त बल –2 (दो) है। शीर्ष 2055 ग्रामीणा पुलिस का

स्थापना बल कुल – 25 (पच्चीस) एवं कार्यरत बल –25 (पच्चीस) रिक्त बल शून्य है। इसकी विवरणी परिशिष्ट 'ई' पर अंकित है।

कंडिका –2

रू0 1051.60 राजस्व कम जमा करने के कारण वसूली योग्य राशि :–

अंचल कार्यालय गोपालगंज का राजस्व हल्का न0 9 एवं हल्का न0 –03–04 एवं 04–05 जाँच एवं सत्यापन संबधित अभिलेखों – राजस्व रसीद, रजिस्टर – 3A, रजिस्टर – 3AA , एन0 आर0 प्राप्ती रसीद एवं जमा पंजी 0029 भू– राजस्व – 0210 स्वास्थ्य पंजी के जाँच क्रम में पाया कि रू0 – 1051.60 राजस्व कम जमा की गयी है।

जिसका विवरणी निम्न प्रकार है :–

हल्का सं0		वसूली योग्य राशि		दिनांक
09	–	751.60	–	11.3.04 एवं 7.02.04
03	–	300.00	–	18.03.04
वसूली योग्य कुल	–	**1051.60**		

हल्का न0–9 के जाँच के क्रम में पाया गया कि राजस्व रसीद में दर्शायी गयी राशि रू0 262.00 दर्ज पायी गयी। लेकिन रजिस्टर –3A एवं 3AA में रू0 203.95 दर्ज पायी गयी एवं जमा दर्शायी गयी पायी गयी।
इस प्रकार (262.00 – 203.95) = 58.05
रू0 58.05 कम राजस्व जमा पायी गयी।
पूनः हल्का न0 – 9 के रजिस्टर –3A एवं 3AA के योग एवं संतुलन के जाँच में पाया गया कि रू0 2194.30 के स्थान पर रू0 1500.75 दर्ज पायी गयी।
इस प्रकार (2194.30– 1500.75) = 693.55
रू0 693.55 राजस्व कम जमा दर्शायी गयी।
अतः हल्का न0 –9 – 58.05
693.05
कुल 751.60

फलतः हल्का न0–9 के जिम्मेदार व्यक्ति से रू0 751.60 वसूल कर कोषागार में जमा की जाय। प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग,बिहार, पटना को अवगत कराया जाय।
इसी प्रकार हल्का न0 3– के जाँच के क्रम में पाया गया कि राजस्व प्रप्ति रसीद में रू0 511.00 दर्शायी गयी थी। लेकिन रजिस्टर –3A एवं 3AA में रू0 211.00 जमा दर्शायी गयी थी। फलतः (511.00– 211.00) = 300.00
रू0 300.00 कम जमा पायी गयी।
हल्का न0 –3 के जिम्मेदार व्यक्ति से रू0 300.00 वसूल कर कोषागार में जमा किया जाय। तथा की गयी कारवाई से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को अवगत करायी जाय।

अतः हल्का न0 –9 एवं 3 से कुल राशि 1051.60 रू0 वसूल कर कोषागार में जमा की जाय तथा प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत करायी जाय।

कंडिका – 3

रू0 916.00 मकान भाड़ा के रूप में कम कटौती की गयी राशि वसूली योग्य :–

(क) शीर्ष 2029 – भू– राजस्व वर्ष 03–04 एवं 04–05 का राज पत्रित पदाधिकारी का वेतन भुगतान पंजी की जाँच में पाया गया कि श्री शंकर बैठा, अंचलाधिकारी से मकान भाड़ा मद में रू0 50.00 की दर से 16 महीनों तक (16X50 = 800.00) कुल रू0 800.00 की कटौती की गयी थी। इसकी विवरणी परिशिष्ट 'क' (i) एवं (ii) पर अंकित है। लेकिन कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल घनबाद के पत्रांक – 19–23/92–1968 दिनांक 8.8.91 एवं बिहार सरकार के अपर सचिव एवं भवन निर्वाण एवं आवास विभाग बिहार पटना के पत्रांक – 189 (भ) दि0 24.11.90 के आदेशानुसार मानक कटौती काटने का प्रावधान राजपत्रित पदा0 रू0 102.00 प्रतिमाह की दर से करनी है। इसप्रकार श्री बैठा के वेतन विपत्रों से 16 महिनों में 16 X102.00 = 1632.00 रू0 कटौती की जानी चाहिए थी। लेकिन इनकी कटौती @ 50.00 रू0 की दर से 16 X50.00 =800.00 ही की गयी।
इस प्रकार (1632 – 800.00) = 832.00 कम काटी गयी जो वसूली योग्य है।
फलतः जिम्मेदार व्यक्ति से रू0 832.00 मकान भाड़ा में कम कटौती की गयी राशि वसूल कर कोषागार में जमा की जाय

(ख) इसी प्रकार श्री राकेश कुमार अंचलाधिकारी को भी मकान भाड़ा मानक कटौती मार्च –03 से जून –03 तक @ 81.00 रू0 की दर से 4 महिनों का 81 X 4 = 324.00 रू0 काटी गयी। लेकिन इनका भी मकान भाड़ा की मानक कटौती @ 102.00 की दर से 102 X4 = 408.00 रू0 की कटौती की जानी चाहिए। 408–324.00=84.00 कम काटी गयी राशि वसूली योग्य है। फलतः 84.00 रू0 जिम्मेदार व्यक्ति से वसूल कर कोषागार में जमा करा दी जाय। कुल वसूली योग्य राशि 832+84=916.00 है। इसके फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत करायी जाय।

कंडिका –4

रू0 110.00 वसूली योग्य :–

राजस्व हल्का न0 –9 अंचलकार्यालय गोपालगंज का वर्ष 04–05 जाँच क्रम में पाया गया कि राजस्व प्राप्ति रजिस्टर –3A के योग एवं संतुलन में दिनांक 19.3.05 का कुल 274.30 रू0 दर्ज होना चाहिए लेकिन रजिस्टर – 3A में 164.30 रू0 ही दर्ज पाया गया।
जिसकी विवरणी निम्न प्रकार है :–

तिथि –	रसीद सं0 –	राशि
19.3.05	187795	110.00

19.3.05	187796	7.00
19.3.05	187797	24.00
19.3.05	187798	24.30
19.3.05	187799	56.00
19.3.05	187800	53.00
		कुल 274.30

इसप्रकार 274.30— 164.30=110.00 रू0 कम दर्ज पायी गयी तथा रजिस्टर —3AA में 164.30 रू0 ही जमा पाया गया।
110.00 रू0 कम जमा की गयी राशि उक्त हल्के के जिम्मेदार व्यक्ति से वसूलकर कोषागार में जमा की जाय। तथा इसके प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत करायी जाय।

कंडिका —5

समायोजन हेतु लंवित अग्रिम की राशि रू0 37,450.00

अस्थायी अग्रिम पंजी वर्ष 2003—04 एवं 04—05 के जाँच के क्रम में पाया गया कि विभिन्न पदाधिकारियों/कर्मचारियों को अस्थायी अग्रिम वर्ष 03—04 के रूप में 37,450.00 रू0 दी गयी थी। लेकिन अंकेक्षणा अवधि के दि0 31.3.05 तक रू0 असमायोजित रखी गयी थी। इसके समायोजन के लिये अंकेक्षण आपत्ति निर्गत की गयी। अंकेक्षण समाप्ति तिथि तक वर्ष 03—04 में 37,450.00 रू0 समायोजन हेतु लंबित ही था। अंकेक्षण आपत्ति के जबाव में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा लिखित रूप में दिया गया कि वसूली की कारवाई की जा रही है। इसकी विस्तृत विवरणी परिशिष्ट 'उ' पर अंकित है।

फलतः समायोजन हेतु वर्ष 03—04 में लंबित राशि 37,450.00 रू0 समायोजन की जाय अन्यथा वसूली की कारवाई की जाय। इस संबंध में सक्षम पदाधिकारी द्वारा की गयी कारवाई से वित्त (अंकेक्षण)

कंडिका —6

12,280.25 रू0 का राजस्व प्राप्ति रसीद उपलब्ध नही कराया जाना आपत्ति अर्न्तगत :—

हल्का न0 —4 से संबंधित अभिलेखों राजस्व रसीद प्राप्ति वही रजिस्टर 3A एवं 3AA, एवं एन0 आर0 प्राप्ति रसीद के जाँच के क्रम में पाया गया कि 12,280.25 रू0 राजस्व प्राप्ति का प्रमाण रजिस्टर — 3AA में पाया गया। लेकिन इससे संबंधित राजस्व प्राप्ति रसीद अंकेक्षण में उपलब्ध नही करायी गयी साथ ही रजिस्टर —3A में भी अंकित नही पाया गया। फलतः 12,280.25 रू0 राजस्व प्राप्ति का जाँच पूर्णतः नही किया जा सका।
जिसकी विवरणी निम्न प्रकार है —

वर्ष 2003 —04

माह – अगस्त – वर्ष 03–04 – रू0 1493.85
माह – सितम्बर – वर्ष 03–04 – रू0 1013.25
माह – अक्टुबर – वर्ष 03–04 – रू0 1199.35
माह – नवम्बर – वर्ष 03–04 – रू0 1159.25
माह – दिसम्बर – वर्ष 03–04 – रू0 3420.80
माह – जनवरी – वर्ष 03–04 – रू0 3993.75 **कुल 12,280.25**

सक्षम पदाधिकारी द्वारा 12,280.25 रू0 राजस्व प्राप्ति का अपने स्तर से जाँच की जाय। इसके फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को अवगत करायी जाय।

कंडिका –7

यात्रा भत्ता मद में भुगतान की गयी राशि 11,900.00 आपत्ति अर्न्तगत :–

विभिन्न पदाधिकारियों /कर्मचारियों को यात्रा –भत्ता में भुगतान की जाँच क्रम में पाया गया कि कुल रू0 11,900.00 यात्रा भत्ता मद में भुगतान किया गया किन्तु यात्रा भत्ता विपत्र की कार्यालय प्रति उपलब्ध नही कराया गया।
पूर्ण व्यौरा निम्नवत पाया गया :–

वर्ष 03–04

विपत्र सं0	पदाधिकारी/ कर्मचारी का नाम	भुगतान की गयी राशि	भुगतान तिथि
103/03–04	श्री शंकर बैठा अ0 अधि0	1850.00	31.3.04
103/03–04	श्री शंकर बैठा अ0 अधि0	4900.00	31.3.04
105/03–04	श्री मोती चंद राम	550.00	31.3.04
105/03–04	श्री भरत प्रसाद	600.00	31.3.04

कुल – 7900.00

वर्ष 04–05

विपत्र सं0	पदा0 / कर्मचारी का नाम	भुगतान की गयी राशि	भुगतान तिथि
91/04–05	श्री नीरज प्रसाद	400.00	31.3.05
91/04–05	श्री रामाशंकर सिंह	1025.00	31.3.05
91/04–05	श्री नीरज प्रसाद	445.00	31.3.05
91/04–05	श्री संजय कुमार यादव	200.00	31.3.05
91/04–05	श्री विजय शंकर दूवे	150.00	31.3.05

91/04–05	श्री विजय शंकर दूवे	500.00	31.3.05
91/04–05	श्री सुनील कुमार श्री वास्तव	200.00	31.3.05
91/04–05	श्री अशोक प्रसाद	555.00	31.3.05
91/04–05	श्री मोती चन्द्र राम	525.00	31.3.05

कुल – 4000.00

उक्त भुगतान से सम्बन्धित यात्रा भत्ता विपत्र की कार्यालय प्रति अंकेक्षण को उपलब्ध नही करायी गयी। फलतः भुगतान की औचित्य की जाँच नही की जा सकी। अतः यात्रा भत्ता विपत्र की कार्यालय प्रति सक्षम पदाधिकारी से जाँच कराकर प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाय। तब तक 11,900.00 रूपया आपत्ति अर्न्गत रखी जाती है।

भाग – 2

कंडिका – 8

वर्ष 2004–05 के रिटर्न –I के सैरात मद में 42,548.30 रू0 राजस्व कम वसूल किया जाना :–

वर्ष 2003–04 एवं 04–05 का माँग एवं संग्रहणा– रिर्टन के जाँच क्रम में पाया गया कि वर्ष 03–04 में दाखिला रिटर्न – I के सैरात मद में 4,25,370.30 रू0 वसूली के पश्चयात् बकाया राशि (बकाया+ हाल) दर्शाया गया था। यह राशि 4,25,370.30 रू0 वर्ष 04–05 में वसूली हेतु बकाया राशि के रूप में लाया जाना चाहिए था। लेकिन 4,25,370.30 रू0 के बदले 3,82,822.00 रू0 बकाया राशि के रूप में वर्ष 04–05 में दर्शाया गया। इस प्रकार (4,25,370.30– 3,82,822.00) =42,548.30 सैरात मद में वर्ष 04–05 में 42,548.30 रू0 कम वसूल की गयी। इसकी विस्तृत विवरणी परिशिष्ट 'ख' (i)एवं (ii) पर अंकित है। परिणाम स्वरूप , उच्चाधिकारी का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है कि सक्षम पदाधिकारी से इसकी जाँच कर फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत करायी जाय।

कंडिका –9

6,97,852=84 रू0 असमायोजित अभिश्रव के रूप में रखा जाना :–

असमायोजित अभिश्रवों के जाँच के क्रम में पाया गया कि अंकेक्षणार्न्गत लेखावधि के अन्तिम तिथि 31.03.05 को संवरणा शेष अन्तर्गत असमायोजित अभिश्रव के रूप में 6,97,852=84 रू0 रखा दर्शाया गया था। यह राशि विभिन्न शीर्षो से विचलन कर खर्च की गयी है।

जो बिहार वित्तीय नियमावली भाग–1 नियम–8 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम – 295 के अनुसार व्यय आवंटित मद में ही करना है। आवंटन के आभाव में बड़ी राशि खर्च करके समायोजन हेतु अभिश्रव के रूप में रखना घोर आपत्ति जनक है।

उच्चाधिकारी का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है कि विचलन कर खर्च की गयी 6,97,852=84 रू0 का अतिरिक्त आवंटन प्राप्त कर विनियमित कराया जाय। इस संबंध में की गयी कारवाई से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत करायी जाय।

कंडिका –10

अंकेक्षण प्रारभ्मण तिथि को रोकड़ का भौतिक सत्यापन नही किया जाना आपत्तिजनक :–

बिहार कोषागार नियम –86 के अनुसार रोकड़ का भौतिक सत्यापन निकासी/ब्ययन पदाधिकारी द्वारा किया जाना अनिवार्य है। उक्त नियमानुसार प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रत्येक महिने के 15 ता0 को नगद पंजी एवं नगद राशि की जाँच करेगे तथा नगद पंजी पर सहीपाने का प्रमाण पत्र अंकित करेगे। यह प्रमाण पत्र नियमित रूप से नगद पंजी में अंकित करने के लिये लेखापाल एवं निकासी– व्ययन पदाधिकारी संयुक्त एवं व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगे।

लेकिन उक्त नियम का अनुपालन नही किया गया। भविष्य में उक्त नियम का अनुपालन कराया जाय।

मिलान एवं शुद्धिकर्त्ता का हस्ताक्षार

(1)

(2)

लेखा नियंत्रक
वित्त(अंकेक्षण)विभाग,बिहार पटना

परिशिष्ट – 'अ'

प्रस्तुत अभिलेखों की सूची :–

1 सामान्य रोकड़ पुस्त वर्ष 03–04 से 04–05 तक

2 सहायक रोकड़ पुस्त वर्ष 03–04 से 04–05

शीर्ष 2029 – भू राजस्व

शीर्ष 2055 – ग्रामीण पुलिस

शीर्ष 2071 – पेंशन

शीर्ष 2245 – दैनिक आपदा

शीर्ष 2015 – निर्वाचन

शीर्ष 2235 – कल्याण

शीर्ष 0029 – जमा

शीर्ष 0210 – जमा स्वास्थ्य

3. अग्रिम पंजी – वर्ष 03–04 एवं 04–05

4. अभिश्रव पंजी – वर्ष 03–04 एवं 04–05

5. विपत्र पंजी – वर्ष 03–04 एवं 04–05

6. नाजीर रसीद – वर्ष 03–04 एवं 04–05

7. वेतन भुगतान पंजी – शीर्ष – 2029 भू– राजस्व – वर्ष 03–04 से 04–05

8. वेतन भुगतान पंजी – शीर्ष – 2055 ग्रा0 पु0 – वर्ष 03–04 से 04–05

9. वेतन भुगतान पंजी – राजपत्रित पदा0 – वर्ष 03–04 से 04–05

10. आकस्मिक व्यय पंजी – वर्ष 03–04

11. यात्रा भत्ता भुगतान पंजी – वर्ष 03–04 एवं 04–05

12. आवंटन पंजी – वर्ष 03–04 एवं 04–05

13. असमायोजित अभिश्रवों का गार्ड फाईल – वर्ष 03–04 एवं 04–05

14. विभिन्न शीर्षो का अभिश्रव शीर्ष – 2029 एवं शीर्ष –2245 से संबंधित

15. रिमिटांस पंजी – वर्ष 03–04 एवं 04–05

<u>अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :–</u>

1. सैरात पंजी वर्ष 03–04 एवं 04–05 एवं संचिका।
2. आकस्मिक व्यय पंजी – वर्ष 04–05
3. भंडार पंजी – वर्ष 03–04 एवं 04–05
4. यात्रा भत्ता भुगतान विपत्र की कार्यालय प्रति वर्ष 03–04 से 04–05
5. उपस्थिति पंजी
6. सेवा पुस्त
7. आवंटन पत्रों का गार्ड फाईल एवं प्रत्यार्पणा पत्रों की संचिका वर्ष 03–04 एवं 04–05
8. राजस्व हल्का न0– 1,7,6 वर्ष 03–04 एवं 04–05 एवं हल्का न0 –3 का वर्ष 03–04 राजस्व रसीद, रजिस्टर 3A एवं 3AA
9. बैंक ड्राफ्ट पंजी एवं चेक का अधकट्टी